तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... हुक्म ... में जा...
2-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित P.O. Sb. राजस्व शिविर में ड्यूटी पधारे हैं वास्ते आदेश पत्रावली 28-10-2020 को पेश हो।	
28-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

वाद संख्या 37/दावा/2019 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 01/07/2019 — श्री प्रमोदकुमार(RAS)

1— महावीर आ0 रामगोपाल जाति मीना निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2— रिंकु आ0 रामगोपाल जाति मीना निवासी बहडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

...वादीगण

//बनाम//

1— सुमित्रा पुत्री रामगोपाल पत्नी मोहनलाल जाति मीना निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2— स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

..प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थित — महेन्द्र कुमार रेबारी एडवोकेट—(वादीगण)

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 0.16 है, खसरा संख्या 19 रकबा 0.89 है, खसरा संख्या 89 रकबा 1.53 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.58 है वाके ग्राम बडहावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसका खातेदार टीनेन्ट वादीगण है एवं काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान पिलाई समय समय पर अदा करते आ रहे है। पक्षकारन जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है जिन पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है तथा ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। इस प्रकार पुत्र के होते हुए मीणा जाति में पुत्री का अधिकार नहीं होता है एवं पुत्रों का ही अधिकार होता है जबकि पुत्री का नाम गलत अंकन हो रहा है इसलिये पुत्री का

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

विलोपित किया जाना आवश्यक है एवं बेवा पार्वती की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए इसका नाम भी विलोपित किया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार खाते में से नाम हटवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधिकारो की घोषणा विधिवत रूप से न्यायालय में करवाने का अधिकारीणी है। वादीगण द्वारा दिनांक 12/06/2019 को प्रतिवादी से कहा कि खातें में नाम हटवाये, लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। यही वाद कारण है। ओर अंत में निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 0.16 है, खसरा संख्या 19 रकबा 0.89 है, खसरा संख्या 89 रकबा 1.53 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.58 है वाके ग्राम बडहावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावे। तथा मृतक पार्वती बेवा रामगोपाल की मृत्यु हो जाने से राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाबदावा दिनांक 28/08/2019 को पेश कर वाद पत्र में वर्णित चरणों को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किए जाने में प्रतिवादी संख्या 1 सुमित्रा द्वारा कोई आपत्ति एवं एतराज नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील सम्मन के नियत पेशी पर उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्लू 1 महावीर व पी.डब्लू. 2 रिंकू पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गए। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सवत् 2075-2078 जो प्रदर्श 1 है पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति के तहत आती है तथा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। बल्कि ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होते है जिसके अनुसार पुत्रियां व विधवा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

हक अधिकार कृषि भूमि में निहित नही होता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में DNJ (RAV) 2016 पेज न. 28, RRD JAN. 2002 पेज न. 31 पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश की है। ओर अंत मे प्रार्थना की गई कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के अवलोकन से तथ्य साबित है कि विवादित अराजी वादीगण के पिता रामगोपाल पुत्र कजोड़ के खाते की कृषि भूमि थी, रामगोपाल की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण से पुत्र व पुत्रियां एवं बेवा के नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर दिया गया। इस कारण नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श 1 में वाद विषयक अराजी पक्षकारान के नाम दर्ज चली आ रही है, राजस्थान काश्तगारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी काश्तगार की मृत्यु होते समय जिस विधि से शासित होता है उस विधि के अनुसार उसकी कृषि भूमि उसके वारीसान को बतौर उतराधिकार के रूप में प्राप्त होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि मृतक रामगोपाल की कृषि भूमि मे पुत्री सुमित्रा व विधवा पार्वती का पुरानी हिन्दू विधि के तहत कोई कानूनी हित नही होना पाया जाता है इस कारण वादीगण को वाद विषयक अराजी खसरा संख्या 11 रकबा 0.16 है, खसरा संख्या 19 रकबा 0.89 है, खसरा संख्या 89 रकबा 1.53 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.58 है वाके ग्राम बडहावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक पार्वती का नाम विलोपित किए जाने व वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अराजी खसरा संख्या 11 रकबा 0.16 है, खसरा संख्या 19 रकबा 0.89 है, खसरा संख्या 89 रकबा 1.53 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.58 है वाके ग्राम बडहावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक पार्वती बाई

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

आज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.....,..................लाखेरी..........................
.व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर ए एस)...
1.महावीर आ0 रामगोपाल जाति मीना निवासी बहडावली... बनाम..1...सुमित्रा पुत्री रामगोपाल पत्नी मोहनलाल
निवासी 2रिंकू आ0 रामगोपाल जाति मीना निवासी बहडावली ....निवासी पापड़ी.तहसील इन्द्रगढ़.............
तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी)...................... 2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार
वादीगण... इन्द्रगढ़(बून्दी)

प्रतिवादीगण..

दावा बाबत..88,89, आर0 टी0 एक्ट ....

मुकदमा नम्बर.................................37 / दावा / 2019.............................सन...
...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.........हमरे...व हाजिरी

.....महेन्द्र रेबारी एडवोकेट.....................मिनजानिब मुद्दई रूबरू..
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अराजी खसरा न. 11 रकबा 0.16 हैक्ट.खसरा सं 19 रकबा 0.89 खसरा सं 89 रकबा 1.53 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 2.58 हैक्ट.ग्राम बहडावली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी सं 1 व मृतक पार्वती बाई का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ....
....निज......................................
मुबलिग...बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..
....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......28.......माह.. ..10... सन...
2020......................को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:37:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)